संख्या– / XIV–1 / 2007

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:–1 देहरादून दिनाँक 16 अक्टूबर, 2007

विषय:– चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों हेतु उर्वरक परिवहन पर राज सहायता (राज्य सेक्टर) के अर्न्तगत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1720/ नियो0/उर्वरक / 2007–08 दिनांक 07.08.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल हैड से सहकारी समिति के गोदामों/ बिक्री केन्द्र तक पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय पर राज सहायता मद में कुल रू0 49.50 लाख (उन्नचास लाख पचास हजार रूपये मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) संस्था/समितियों द्वारा 10.00 रू0 प्रतिटन परिवहन व्यय वहन किया जायेगा।

(2)इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। उक्त धनराशि की जनपदवार फांट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस मद में पूर्व में स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप एवं प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र, योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपदों में गत वर्ष जनपद वार लक्ष्य के सापेक्ष वितरित उर्वरक की मात्रा, मैदानी जनपदों के सापेक्ष पर्वतीय जनपदों में वितरित उर्वरक की मात्रा, चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष वितरित उर्वरक एवं लाभान्वित सदस्यों की संख्या तथा प्रति मैट्रिक टन उर्वरक परिवहन दर शासन/ महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(4) सभी कार्यक्रमों का जनपदवार वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी तत्काल कर लिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय। पर्वतीय जनपदो की समितियो द्वारा कृषकों को उर्वरक आपूर्ति/ उपलब्धता की पुष्टि निबन्धक एवं मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा की जाय।

(5) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल अनुमोदित कार्यो/ मदों पर ही व्यय की जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(7)उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/ शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(8) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-09- उर्वरक परिवहन पर राज सहायता-00-20- सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या- 178 (P)/वित्त अनुभाग-4 /2007 दिनांक 21.9.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्या:- 818 (1)/XIV-1/2007 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।
3- वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5- समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7- प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून ।
8- समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।